

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्डुनू

(पीठासीन अधिकारी :- श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :- 427/2023

निर्णय दिनांक :


बजरंगसिंह बनाम मोतीसिंह वगैर

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश मीणा तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 20 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल मीणा की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 21/11/23 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्डुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम अणगासर पटवार हल्का आबूसर तहसील झुन्डुनू में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 124 के हाल खं.नं. 494 कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर में वादी को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 6 लगायत 10 के पूर्वज स्व. हरचन्द का नाम हजफ किया जाकर उसके हक हिस्से की 1/3 हिस्से की भूमि को उसके वारिसान प्रतिवादी नं. 6 लगायत 8 को 1/12, 1/12, 1/12 हिस्से व प्रतिवादी नम्बर 9 व 10 को 1/24, 1/24 हिस्से का व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/9, 1/9 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को 1/27, 1/27, 1/27 हिस्से का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार भूमि हाल खाता 125 के हाल खसरा नम्बर 199 कुल रकबा 0.1300 हैक्टेयर में वादी को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 6 लगायत 10 के पूर्वज स्व. हरचन्द का नाम हजफ किया जाकर उसके हक हिस्से की 1/3 हिस्से की भूमि को उसके वारिसान प्रतिवादी नं. 6 लगायत 8 को 1/12, 1/12, 1/12 हिस्से व प्रतिवादी नम्बर 9 व 10 को 1/24, 1/24 हिस्से व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/9, 1/9 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को 1/27, 1/27, 1/27, 1/27 हिस्से का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार भूमि हाल खाता संख्या 123 खसरा नम्बर 145 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खं.नं. 146 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खं.नं. 150 रकबा 1.51 हैक्टेयर, खं.नं. 151 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खं.नं. 67 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खं.नं. 67/651 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खं.नं. 69 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खं.नं. 70 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खं.नं. 71 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खं.नं. 72 रकबा 2.54 हैक्टेयर कुल कित्ता 10 कुल रकबा 9.27 हैक्टेयर में वादी को 1/9 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 6 लगायत 10 के पूर्वज स्व. हरचन्द का नाम हजफ किया जाकर उसके हक हिस्से की 1/9 हिस्से की भूमि को उसके वारिसान प्रतिवादी नं. 6 लगायत 8 को 1/36, 1/36, 1/36 हिस्से व प्रतिवादी नम्बर 9 व 10 को 1/72, 1/72 हिस्से व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 के पूर्वज स्व. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर का नाम हजफ कर प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को 1/27, 1/27 हिस्से का व प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 5 को 1/81, 1/81, 1/81 हिस्से का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/11/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

  
(हवाई सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुकमनामा		बाबत इजराय हुकमनामा	
योग	3	योग	1

